



फार्म III {विनियम 7(1) D(d) देखें}
From III {see Regulation 7(1) D(d)}

भारतीय मानक ब्यूरो BUREAU OF INDIAN STANDARDS

गुणता प्रबंध पद्धति प्रमाणन लाइसेंस

LICENCE FOR THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS CERTIFICATION

राष्ट्रीय प्रत्यायन प्रमाणन निकाय बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा प्रत्यायित

(Accredited by National Accreditation Board for Certification Bodies, New Delhi)

लाइसेंस सं. क्यूएम /L-6000400.7

Licence No. QM/L-6000400.7

1. भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों के आधार पर, ब्यूरो By virtue of the power conferred on it by the Bureau of Indian Standards Act 1986 (63 of 1986), the Bureau hereby grants/renews to

केसोराम सीमेंट

Kesoram Cement

(प्रोप. केसोराम इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड)

(Prop. Kesoram Industries Limited)

बसंत नगर, करीम नगर जिला

Basant Nagar, Karim Nagar District

आंध्र प्रदेश- 505 187

Andhra Pradesh - 505 187

को (जिन्हें इसके बाद लाइसेंसधारी कहा गया है) इसके साथ लगी अनुसूची में विशेष रूप से वर्णित उत्पादों और/या सेवाओं या प्रक्रमों के संबंध में ब्यूरो के गुणता प्रबंध पद्धति प्रमाणन के लाइसेंसधारियों के रजिस्टर(रों) में उसी संख्या से सूचीबद्ध होने का अधिकार और लाइसेंस प्रदान/नवीकरण करता है, जो इस लाइसेंस की है। इस प्रकार के उत्पाद और/या सेवाएं या प्रक्रम लाइसेंसधारी द्वारा IS/ISO 9001:2008 के अनुरूप गुणता प्रबंध पद्धति के अनुसार केवल ऊपर बताए गए पते (पतों) पर निर्मित/प्रदा/प्रचालित किए जाएंगे।

(hereinafter called the Licensee) the right and licence to be listed in the Bureau's register(s) of Licensees of Quality Management Systems Certification in respect of the products and/or services or processes particularly described in the schedule hereto, bearing the same number as this licence. Such products and/or services or processes shall be manufactured/provided/carried out by the Licensee at only the address(es) given above, and under the Quality Management Systems in accordance with IS/ISO 9001:2008.

2. यह लाइसेंस इस लाइसेंस का विनियम करने वाले उपरोक्त अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के संबंध में प्रावधानों के अंतर्गत स्वीकृत/नवीकृत किया गया और लाइसेंसधारी एतद द्वारा ब्यूरो को उपरोक्त नियमों और विनियमों का विधिवत पालन करने का वचन देता है।

3. The licence is granted/renewed subject to the relevant provisions of the above Act and the rules and regulations made thereunder governing the licences referred to above, and the Licensee hereby covenants with the Bureau duly to observe with the said Rules and Regulations 3. यह लाइसेंस 07 नवम्बर 2017 से 14 सितम्बर 2018 तक वैध होगा और इसका विनियमों के अनुसार नवीकरण किया जा रहेगा। शर्त के अधीन प्रमाणीकरण अधिकतम 3 वर्ष की अवधि के लिए प्रदान किया जाता है जो संशोधित संस्करण आईएस/आईएसओ 9001:2015 के लिए सभी कार्यों और संक्रमण का सत्यापन 31 अगस्त 2018 तक पूरा हो जाएगा। यदि यह शर्त पूरा होता है, तो वैधता अवधि 31 अक्टूबर 2020 तक की अनुमति दी जाएगी और एक नया प्रमाणपत्र शेष अवधि के लिए जारी किया जाएगा।

This licence shall be valid from 07 November 2017 to 14 September 2018 and may be renewed as prescribed in the Regulations

Note: Certification is granted for a maximum period of 3 years subject to the condition that all actions & verifications of transition to the revised version IS/ISO 9001:2015 are completed before 31 August 2018. If this condition is met the validity period will be allowed upto 31 October 2020 and a new certificate will be issued for the balance period.

2017 के दिसम्बर माह के 4 दिन हस्ताक्षरित एवं मुहरांकित।

Signed, Sealed and Dated this 4th day of December 2017

पी.एम. पंतुलु
P.M. PANTULU
उपमहानिदेशक (दक्षिण)

Deputy Director General (Southern Region)
भारतीय मानक ब्यूरो
BUREAU OF INDIAN STANDARDS
चेन्नै/CHENNAI-600 113

उप महानिदेशक (दक्षिण क्षेत्र)
भारतीय मानक ब्यूरो





Q

M

S

लाइसेंस सं. क्यूएम IL-6000400.7 की अनुसूची
Schedule to Licence No. QM/L-6000400.7

जारी: केसोराम सीमेंट
(प्रोप. केसोराम इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड)
बसंत नगर, करीम नगर जिला
आंध्रा प्रदेश- 505 187

Issued to: Kesoram Cement
(Prop. Kesoram Industries Limited)
Basant Nagar, Karim Nagar District
Andhra Pradesh - 505 187

अनुसूची-
SCHEDULE

वे उत्पाद/सेवाएँ/प्रक्रम जिनके संबंध में फर्ज को गुणता प्रबंध पद्धति प्रमाणन लाइसेंस स्वीकृत/नवीकृत किया गया है :
Products/Services/Processes with respect to which the firm has been granted/renewed the licence for Quality Management Systems Certification:

All activities related to manufacturing and supply of Clinker and Cement including mining operations

The scope excludes the following clauses of IS/ISO 9001:2008
i) Design & Development (CI 7.3)

उप महानिदेशक (दक्षिण क्षेत्र)
भारतीय मानक ब्यूरो
Deputy Director General (Southern Region)
for BUREAU OF INDIAN STANDARDS

पी.एम. पंतुलु
P.M. PANTULU
उपमहानिदेशक (दक्षिण)
Deputy Director General (South)
भारतीय मानक ब्यूरो
BUREAU OF INDIAN STANDARDS
चेन्नै/CHENNAI-600 113

